न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2022 (2022/317)

1. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिये पार्टनर हिस्सा 3/10 हिस्सा पियूष कुमार पुत्र रामकुमार सिंह जाति जाट निवासी आदर्श कॉलोनी नवलगढ जिला सीकर
2. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिये पार्टनर हिस्सा 7/20 हिस्सा रामस्वरूप गूर्जर पुत्र बन्नालाल गूर्जर निवासी बोहरा कॉलोनी केकड़ी जिला अजमेर
3. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिये पार्टनर हिस्सा 1/6 हिस्सा कुमारी रंजिता तंवर पुत्री गोविन्द सिंह तंवर जाति राजपूत निवासी मेयो लिंक रोड अजमेर
4. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिये पार्टनर हिस्सा 1/6 हिस्सा गोपाल लाल गूर्जर पुत्र छोटूराम गूर्जर निवासी गूर्जरों का मोहल्ला खातोली अजमेर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मृतक शिखरचन्द वारिस
   1(1) मनीष पुत्र शिखरचन्द जाति महाजन
   1(2) ममता पुत्री शिखरचन्द जाति महाजन
   1(3) विमला पत्नि शिखरचन्द जाति महाजन
2. रामरतन पुत्र सवाईराम गूर्जर निवासी नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. लादू पुत्र सवाईराम गूर्जर निवासी नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री नवलकिशोर पारीक – वकील प्रार्थीगण
श्री हेमन्त जैन – वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

दिनांकः– 19/05/2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम धुंवालिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
230–218	1117	1.01	चाही 2 जाव 2
	1117/1185	0.12	बारानी 2
	1119	0.48	बारानी 3
	1119/1186	0.05	बारानी 2
	1334/1119	0.04	बारानी 2
	1335/1119	0.17	बारानी 3
	1336/1119	0.32	बारानी 3
	1341/1119	0.04	बारानी 2
	1342/1119	0.49	बारानी 3
	किता 9	रकबा 2.72 हैक्टर	

प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी में पंहूच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1073 रकबा 1.29 हैक्टर, 1044 रकबा 0.94 हैक्टर में से नयामार्ग खोलने के आशय से प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा (2) के अधीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1288/1070 तक पंहूचने हेतु मार्ग

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

विद्यमान है जिसके बाद की आराजी खसरा नम्बर 1073 एवं 1044 में से नया मार्ग खोलने का आशय रखते है। प्रार्थीगण को उक्त मार्ग की अत्यधिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक मार्ग भी विद्यमान नही है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का व संशोधित शीर्षक पेश किया जाकर अप्रार्थी शिखरचन्द की मृत्यु होने से शिखरचन्द के स्थान पर उनके वारिसान का नाम समायोजित किये जाने का निवेदन किया गया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वारिसान की की तलबी कराई गई।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर अप्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थी 1(1) मनीष ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि पेरा संख्या 1, 2(ए), 2(क), 2(ख) के कथन जैसे वर्णित किये गये है जानकारी के अभाव में/गलत/असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें। पेरा संख्या 2(बी–क व ख) के क्रम में निवेदन किया है कि अप्रार्थी जवाबकर्ता मनीष के पिता शिखरचन्द का देहान्त दिनांक 07.07.2020 को हो गया है तथा ऐसी दशा में प्रार्थीगण द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थनापत्र पेश किया है जो विधितः चलने योग्य नही है। पेरा संख्या 2(बी–ग व घ) के क्रम में आराजी खसरा नम्बर 1073 में अप्रार्थी जवाबकर्ता मनीष का 1/3 हिस्सा, ममता पुत्री शिखरचन्द व विमला पत्नि शिखरचन्द का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा हैं जहां ममता दिल्ली में निवास करती है तथा विमला अप्रार्थी जवाबकर्ता मनीष से अलग निवास करती है। अतः इन्हे पक्षकार बनाये बिना इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपने आप में अवैध है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1073 में नया मार्ग खेलने का आशय बताया है जो कतई गलत है। आराजी खसरा नम्बर 1073 में किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई रास्ता नही रहा है तथा यदि इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रार्थीगण ने बनवाई है तो वह मौका स्थिति के विपरीत धन के बल पर माईन्स का मालिक होने से बनाई जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) केवल मात्र काश्तकारों की सुविधार्थ व लाभार्थ जोडी गई है। प्रार्थीगण के अपने अभिवचनों की रोशनी में ही मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स के नाम से माईन्स का काम करना प्रकट होते है तथा जब मौके पर रिकॉर्ड अनुसार कृषि भूमि नही है तथा तथाकथित भूमि माईन्स के काम में आ रही है तो उस हेतु रास्ता देने का अधिकार धारा 251(क) के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नही है तथा रास्ते की मांग किसी काश्तकार द्वारा ही की जा सकती है, ना किसी माइन्स के मालिक द्वारा। प्रार्थीगण की फर्म माइन्स का कार्य करती है ऐसी दशा में जबकि प्रार्थीगण खनन पट्टाधारी है उनके द्वारा धारा 251ए के प्रावधानों के तहत रास्ते की मांग नही की जा सकती तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों के तहत यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का शुरूआत से ही खसरा नम्बर 1076/1192, 1077, 1076, 1346/1114, 1347/1114, 1113, 1115 व इनके आस पास के खातेदारों के खेत से रहा है जो सबसे छोटा व सुगम रास्ता है, किन्तु प्रार्थीगण ने जवाबकर्ता अप्रार्थी जो एक मध्यम परिवार का काश्तकार है, के खेत में जबरन रास्ता निकालना चाहा है। प्रार्थनापत्र में खसरा नम्बर 1044 से रास्ता चाह गया है जिस पर राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा मुकदमा संख्या 121/2021 माया बनाम रामकिशन में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कार्यवाही राजस्व अपील आधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना है जिससे यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी विमला बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित एवं अप्रार्थी ममता की तलबी जरिये अखबार साया कराये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अप्रार्थीगण 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश हुआ है जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कथन अस्वीकार किया जाकर बताया कि प्रार्थीगण की आराजी में पंहूच हेतु खसरा संख्या 1073/1.29, 1044/0.94 में से नया मार्ग खोलने का प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का कदमी रास्ता पूर्व में ही बना हुआ है। पेरा संख्या 2 में वर्णित कथन अस्वीकार किया जाकर बताया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1073 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात है तथा आराजी खसरा नम्बर 1044 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का रास्ता कदमी रूप से आराजी खसरा नम्बर 1073 के दक्षिण मेड से होकर आराजी खसरा नम्बर 1114/1184, 1117/1185, 1321/1119 में से बना हुआ है। यह आराजी पूर्व में सिवायचक थी, बाद में आवंटित करवाई गई है। प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 2 वव 3 की

उपखण्ड अधिकारी
...ण्डी (अजमेर)

आराजीयात खसरा संख्या 1044 में से रास्ता मांगा जा रहा है जो सरासर गलत एवं गैर कानूनी है। अप्रार्थी मनीष की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश किया जिस पर जवाब बहस सुनी जाकर दिनांक 03.01.2023 को प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम धुंवालिया के खसरा नम्बर 1117, 1117/1185 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थीगण वर्तमान में खसरा नम्बर 1073, 1043, 1044 में से आवागमन कर रहे है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 504 जयपुर–भीलवाड़ा रोड गुजरता है।
4. प्रार्थी के खेत से खसरा नम्बर 504 जयपुर–भीलवाड़ा रोड से होते हुए खसरा संख्या 1067, 1070/1196, 1288/1070 तक दर्ज रास्ते से खसरा संख्या 1073, 1043, 1044 से होकर प्रस्तावित रास्ता सुविधाजनक रहेगा।
5. उपरोक्तानुसार रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 1073 में से 40 x 8 = 320, 105 x 8 = 840 वर्गमीटर, खसरा संख्या 1044 में से 110 x 8 = 880 वर्गमीटर, खसरा संख्या 1043 में से 76 x 8 = 608 वर्गमीटर इस प्रकार कुल रास्ते की भूमि हेतु 2648 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 430694/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 228097/– रूपये बनते है।
8. खसरा संख्या 1043 व 1044 में RAA एवं उपखण्ड अधिकारी केकड़ी का मौका व रिकॉर्ड यथावत संबंधी स्थगन जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है।
9. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

अप्रार्थी मनीष द्वारा पत्रावली में दिनांक 15.02.2023 को प्रार्थनापत्र वास्ते आपत्ति रिकॉर्ड पर ली जाकर पुनः मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का पेश किया गया जिसे बाद सुनवाई की जाकर तहसीलदार केकड़ी से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम धुंवालिया के खसरा नम्बर 1117, 1117/1185, 1119, 1119/1186, 1334/1119, 1335/1119, 1336/1119, 1341/1119, 1342/1119 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थीगण वर्तमान में संलग्न नक्शे में वर्णित प्रथम रास्ता केकड़ी–जयपुर रोड से खसरा नम्बर 1067, 1070/1196, 1288/1070, 1073, 1044, 1043 में से आवागमन कर रहे है। मौके पर उपलब्ध है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से धुंवालिया से एकलसिंहा डागर रोड निकलता है। संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है।
4. प्रार्थी द्वारा केकड़ी–जयपुर रोड से खसरा नम्बर 1067, 1070/1196, 1288/1070, 1073, 1044, 1043 से संलग्न नक्शे अनुसार आवागमन सुविधाजनक है। विस्तृत मौका रिपोर्ट संलग्न है।
5. उपरोक्तानुसार रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार धुंवालिया से एकलसिंहा डागर रोड के लगवा खसरा संख्या 1034, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1026, 1041 से होकर वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता है। लेकिन उक्त रास्ता मौके पर बंद है
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रस्तावित प्रथम रास्ते हेतु खसरा नम्बर 1067 में से 70 x 5 = 350, खसरा नम्बर 1070/1196 में से 44 x 5 = 220, खसरा नम्बर 1288/1070 में से 126 x 5 = 630, 1073 में से 150 x 5 = 750, खसरा संख्या 1044 में से 108 x 5 = 540 वर्गमीटर, खसरा संख्या 1043 में से 70 x 5 = 350 वर्गमीटर इस प्रकार कुल रास्ते की भूमि हेतु 2840 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी ग्राम धुंवालिया की वर्तमान डीएलसी दर 264336/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 150124/– रूपये बनते है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

8. प्रस्तावित द्वितीय रास्ते हेतु खसरा नम्बर 1034 में से 24 x 5 = 120, खसरा नम्बर 1032 में से 60 x 5 = 300, खसरा नम्बर 1031 में से 18 x 5 = 90, खसरा नम्बर 1030 में से 12 x 5 = 60 खसरा नम्बर 1029 में से 48 x 5 = 240, खसरा नम्बर 1028 में से 40 x 5 = 200 खसरा नम्बर 1026 में से 68 x 5 = 340 वर्गमीटर इस प्रकार कुल रास्ते की भूमि हेतु 1350 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 264336/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 71365 रूपये बनते है।

9. बिन्दू संख्या 4 में वर्णित रास्ता मौके पर चालू है।

10. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि तथाकथित भूमि माईन्स के काम में आ रही है तो उस हेतु रास्ता देने का अधिकार धारा 251(क) के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नही है तथा रास्ते की मांग किसी काश्तकार द्वारा ही की जा सकती है, ना किसी माइन्स के मालिक द्वारा। प्रार्थी की आराजी हेतु अप्रार्थीगण की आराजी से होकर कभी भी नही रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी मौके पर कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है एवं कृषि कार्य हेतु प्रार्थी को अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु अत्यन्त आवश्यकता एवं अधिकार है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि माईन्स के बारे में केवल कथन किया गया है जबकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 में बिन्दु संख्या 4 पर प्रस्तावित प्रथम रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1067, 1070/1196, 1288/1070, 1073, 1044, 1043 ही उपर्युक्त है एवं वर्तमान में चालू है। रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित द्वितीय रास्ता मौके पर बन्द है। प्रार्थी द्वारा नवीन रास्ते की मांग नही की जाकर चालू रास्ते में से ही रास्ता दिये जाने की मांग की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय मौका रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 4 में प्रस्तावित किया गया रास्ता ही उपर्युक्त प्रतीत होता है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्राम धुंवालिया के खसरा नम्बर 1067 में से 70 x 5 = 350, खसरा नम्बर 1070/1196 में से 44 x 5 = 220, खसरा नम्बर 1288/1070 में से 126 x 5 = 630, 1073 में से 150 x 5 = 750, खसरा संख्या 1044 में से 108 x 5 = 540 वर्गमीटर, खसरा संख्या 1043 में से 70 x 5 = 350 वर्गमीटर इस प्रकार कुल रास्ते की भूमि हेतु 2840 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी ग्राम धुंवालिया की वर्तमान डीएलसी दर 264336/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 150124/– (एक लाख पचास हजार एक सौ चौबीस) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर उपरोक्तानुसार मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी द्वारा उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर सिवायचक आराजी की राशि नियमानुसार जमा राजकोष करवाई जावे तथा खातेदारी आराजी की राशि अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर आदेशानुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी